

फर्द अहकाम
न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

आशा/लाली देवी

संख्या : 16/257 (T)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	इन्का जवाब का स्वमत बंद किया जाता है। पत्रावली को अंतिम बंद देतु दिनांक 30 ⁷ / ₂₄ को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर	
30 ⁷ / ₂₄	पत्रावली प्रस्तुत वकील प्रार्थी पत्रावली प्रस्तुत करने के लिए बंद देतु दिनांक 7 ⁸ / ₂₄ को पेश हो। पुनः प्रार्थी की अधिवक्ता की एकपक्षीय बंद सुनी गई। पत्रावली को अंतिम बंद देतु दिनांक 7 ⁸ / ₂₄ को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर	
7 ⁸ / ₂₄	पत्रावली प्रस्तुत वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी की अधिवक्ता की एकपक्षीय बंद सुनी गई। प्रार्थी की अधिवक्ता ने विवेक किया अप्रार्थीगण बिना विचार के विवाहित नाराजी पर निर्माण व बेव्याह करना चाहते हैं यदि बिना तलाक़ करके निर्माण व बेव्याह करते हैं तो प्रार्थी की अपूरणीय क्षति होगी। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाये। पत्रावली व प्रस्तुत तथ्यों का संवलीकरण किया गया। बंद बंद कोर का है तथा वा वाहुल्यता को रोकने हेतु उत्पन्न को पाबंद किया जाये। उचित प्रतीत होता है यदि अप्रार्थीगण बिना विचार के नाराजी का फैसला निर्माण करते हैं तो प्रार्थी की अपूरणीय क्षति होगी। अतः अप्रार्थीगण को उत्पन्न को मुलफाई के निस्तारण तक जरूरी सम्पदा निषेधाज्ञा से पाबंद किया	

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

सा.प.

आशादेवी बान्ना लाली

संख्या : 16/23

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		जानता है कि वे बड़े ब्रह्म के नाम पर दौलतपुरा तहसील राहपुरा-जबरी के खसरा नम्बर 436 रकबा 0.600 है; 439 रकबा 1.10 है; 441 रकबा 0.14 है, 526 रकबा 8.86 है, 624 रकबा 0.27 है, 625 रकबा 0.07 है। कुल मिला 6 कुल रकबा 5.04 है। इसमें से मौका व रिकोर्ड की प्रमाणित करने रहे। उक्त मोरा कृषि कार्य करने व सरकारी योजनाओं के लाभ लेने पर लागू नहीं होगी। पत्रावली केवल शुद्ध होकर दायित्व दस्त (हो सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर